पाँचवा-स्तम्भ

CUTS® International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 20, अंक 2/2019

तम्बाकू सेवन व ई-सिगरेट मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस की पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में 'तम्बाकू एवं फेफड़ों का स्वास्थ्य' विषय पर 'कट्स' द्वारा जयपुर में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ज्योति खण्डेलवाल, पूर्व महापौर, जयपुर नगर निगम ने सभी प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि 'पहला सुख निरोगी काया' का विचार हमारी संस्कृति में प्रारम्भ से ही है। तम्बाकू से आस-पास के व्यक्तियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसको रोकने के लिए आमजन को जागरूक करना आवश्यक है। यदि सार्वजनिक स्थलों पर कोई धूम्रपान करते हुए पाया जाता है तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी हम सभी की होनी चाहिए।

इससे पूर्व 'कट्स' के निदेशक जार्ज चेरियन ने कहा कि धूम्रपान निषेध अधिनियम बना हुआ है, लेकिन इसकी पालना नहीं हो रही है। साथ ही इस अधिनियम में कमियां भी बहुत है जिससे आमजन एवं तम्बाकू कंपनियों में इसका भय नहीं है। इस अधिनियम को संशोधित करते हुए जुर्माना राशि को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, धूम्रपान अधिनियम के तहत ई-सिगरेट के चलन को भी रोकना चाहिए।

अस्थमा केयर सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. धर्मवीर कटेवा ने कहा कि भारत में तम्बाकू पुर्तगाल से आया था। आज हमारे देश में इसकी खेती हो रही है और आमजन इसके आदी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि विश्व तम्बाकू निषेध दिवस एक प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। जबकि हमें विद्यालयों के बच्चों को तम्बाकू से होने वाले नुकसानों के प्रति नियमित रूप से जागरूक करना चाहिए। उन्होंने राज्य में ई-सिगरेट को प्रतिबन्धित करने के लिए जोर दिया।

राजस्थान कैंसर फाउंडेशन के डॉ. राकेश गुप्ता, ने प्रतिभागियों को बताया कि पूरे विश्व में 100 करोड़ लोग इसके सेवन से मौत के शिकार हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के साथ लगातार पैरवी करने पर सरकार ने सभी तम्बाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे पैकेट पर 85 प्रतिशत सचित्र चेतावनी दर्शाए, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े।

कॉन्फ्रेंस में ई.एच.सी.सी. अस्पताल की मुख्य कार्यकारी मंजू शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि तम्बाकू उत्पाद से बनी वस्तुओं के सेवन से बहुत तरह की जानलेवा बीमारियां होती हैं। इसके प्रति हमें सबसे पहले अपने घरों में सभी को जागरूक करना होगा। माता-पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ताकि वे बुरी आदतों के शिकार न हों।

कॉन्फ्रेंस के दूसरे सत्र में ई.एच.सी.सी. अस्पताल के डॉ. आलोक ने तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि तम्बाकू उत्पादों की रोकथाम के लिए 'विश्व तम्बाकू निषेध दिवस' के अतिरिक्त वर्ष भर ही लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में खासतौर पर यह निष्कर्ष उभरकर सामने आया कि तम्बाकू एवं ई-सिगरेट पर अनिवार्य रूप से प्रतिबंध होना चाहिए।

कार्यक्रम में इस विषय से संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के छात्र-छात्राओं सहित 100 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन 'कट्स' की ओर से अमरदीप सिंह ने किया।

हमें यह जानकर प्रसन्नता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'विश्व तम्बाकू निषेध दिवस' पर राज्य में ई-सिगरेट के उत्पादन, भण्डारण, वितरण, विज्ञापन और ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन किसी भी माध्यम से बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

इस अंक में...

- कमीशन के लिए किसानों को दिया लोन 3
- सीजेआई ने पकड़ी कोर्ट में 'फिक्सिंग' 5
- जानिए: कैसे रंगे हाथ पकड़ा जाता है रिश्वतखोर 6
- देश में सौ मीटर तक गिर जाएगा भूजल 9
- स्वयं सहायता समूहों ने बनाया सांसद 10

राजस्थान में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए पांच प्रमुख जोखिम पूर्ण कारणों को नियन्त्रण करना आवश्यक

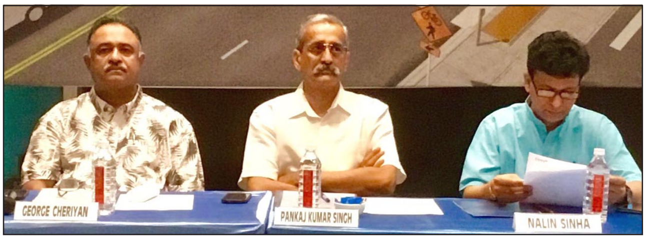

राजस्थान को सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है तो मोटरवाहन अधिनियम में सड़क सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान करने होंगे, साथ ही वर्तमान प्रावधानों को शक्ति से लागू करना होगा। सड़क सुरक्षा से जुड़े पांच प्रमुख जोखिम भरे कारण वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनना, सीट बैल्ट नहीं बांधना, अधिक गति से वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करना और शराब पीकर वाहन चलाना हैं। यदि इन जोखिम पूर्ण व्यवहारों को सुधार दिया जाए तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। 'कट्स' द्वारा 29 मई 2019 को जयपुर में आयोजित सड़क सुरक्षा विषयक कार्यशाला में यह उभरकर सामने आया। कार्यशाला में 'कट्स' द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित कराए गए एक सर्वेक्षण व अनुसंधान के निष्कर्षों को हितधारकों के साथ साझा किया गया।

कार्यशाला के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जार्ज चेरियन ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा विधेयक को जल्द से जल्द पारित करने की आवश्कता पर जोर दिया, ताकि सड़क सुरक्षा के मुद्दे को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। उन्होंने पुराने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह 30 साल पुराना अधिनियम है, जबकि यह 150 साल पुराना बिल है। मोटर वाहन विधेयक, 2017 के बारे में उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा संबंधी प्रावधानों पर अधिकांश राजनीतिक दलों ने सहमति जताई थी, लेकिन परिवहन क्षेत्र के विवादास्पद प्रावधानों के कारण यह पूरा विधेयक टल गया और इसे पारित नहीं किया जा सका।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजस्थान में वाहनों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण होना आवश्यक है। इनकी संख्या अन्य राज्यों के वाहनों सहित 2.5 करोड़ के आसपास है। उन्होंने सुझाव दिया कि ड्राइविंग व्यवहार के साथ बीमा प्रीमियम को जोड़ने के साथ-साथ कन्जेशन टैक्स भी लगाया जाना चाहिए और अगर व्यवहार जोखिम भरा है तो बीमा प्रीमियम की राशि अधिक होनी चाहिए। ग्लोबल रोड़ सेफ्टी नेटवर्क, नई दिल्ली से नलिन सिन्हा ने सड़क सुरक्षा पर वैश्विक प्रथाओं को साझा करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाएं नियति से संबंधित नहीं है, यह एक मानव निर्मित गलती है और एक व्यवहारिक मुद्दा है, जिससे बचा जा सकता है।

कार्यक्रम में 'कट्स' के सलाहकार अश्विनी बग्गा द्वारा किए गए विश्लेषण की विस्तृत प्रस्तुति दी गई। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय घटिया हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट नहीं बांधना एवं मोबाइल के उपयोग पर भारी जुर्माना किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना पर जोर दिया। कार्यक्रम में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संगठनों, बीमा कंपनियों और मीडिया सहित 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए।

सरकारों व स्वार्थ ने उजाड़ी धरती की कोख

'कट्स' द्वारा 'प्रोओर्गेनिक-II' परियोजना के तहत मरुधर गंगा सोसायटी माणकलाव के संयुक्त तत्वावधान में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान भवन पावटा, जोधपुर में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सिमरथा राम पथिक ने कार्यशाला के उद्देश्य बताए। इसके बाद मरुधर गंगा सोसायटी के मुख्य कार्यकारी भारत कुमार भाटी ने बताया कि एक समय था हमारे पूर्वज परंपरागत खेती करते थे। उस खेती में खाद्यान्न की गुणवत्ता बहुत ऊंचे दर्जे की थी। लेकिन कुछ दशकों के पहले हमारे देश में एक समय खाद्यान्न की भारी गिरावट आई। हमारी सरकारों ने तथा राष्ट्रीय कंपनियों ने सब्सिडी देकर किसानों की आदतों को बिगाड़ने का काम किया। उन्होंने बताया कि इसके तहत अंग्रेजी खाद व अंग्रेजी दवाइयों का अधिकादिक इस्तेमाल करने से पैदावार तो बढ़ गई लेकिन खाद्यान्न की गुणवत्ता में भारी गिरावट आ गई। इंसान अधिक पैदावार लेने के लिए रासायनिक खाद और दवाइयों में मिलावट कर जहरीला अनाज पैदा करने लगा। इससे इस अन्न को खाने वाले लोगों की सेहत में दिनों-दिन कमी आई और व्यक्ति इतना व्यवसाई हो गया कि अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हुए ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए अपने जीवन को संकट में डाल दिया है। सरकारों तथा मनुष्य के स्वार्थ ने धरती की कोख को उजाड़ दिया।

'कट्स' जयपुर के राजदीप पारीक ने बताया कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमें अब युद्ध स्तर पर एक आंदोलन के रूप में अभियान चलाना पड़ेगा। रासायनिक खेती से जमीन बंजर होती जा रही है। खाद्यान्न की गुणवत्ता में भी गिरावट आ रही है। खेतों में रसायनिक खाद और दवाओं के छिड़काव से कई तरह की गंभीर व जानलेवा बीमारियां पैदा हो रही है। इस अवसर पर अल्लाह नूर ने बताया कि मीडिया जैविक खेती आंदोलन को बढ़ाने के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में काम कर सकता है। उन्होंने एक मिनी लाइब्रेरी के माध्यम से अलग-अलग खेती से संबंधित पत्र-पत्रिकाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में मीडिया प्रतिनिधियों एवं प्रगतिशील किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

आवास योजना के नहीं सुधरे हालात

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अभी भी हालात नहीं सुधरे हैं। प्रदेश में करीब 83 हजार 380 आवास ऐसे हैं, जो प्रथम किश्त के हस्तांतरण के बाद भी अभी अधूरे पड़े हैं। जबकि इन आवासों को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग पिछले छह महीने में जिला परिषदों को 13 बार पत्र लिख चुका है।

सामने यह आया है कि ऐसे आवासों की जिला और पंचायत समिति स्तर पर समय रहते समीक्षा नहीं हो रही है। नियमों के अनुसार एक साल के अंदर आवास पूरे करना जरूरी है। धरातल पर हालात यह है कि पिछले तीन सालों में कुल 72 हजार 626 आवास अभी तक अपूर्ण या प्रगतिरत हैं।

(दै.न., 09.05.19)

अफसर नहीं दे रहे सवालों के जवाब

राज्य सरकार के अफसर जनता के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 14वीं और 15वीं विधान सभा के लगभग पांच हजार सवाल विधानसभा में लंबित पड़े हैं, जिनके उत्तर अफसरों की ओर से नहीं दिए जा रहे। विधानसभा के सवालों को अफसरों द्वारा जानबूझ कर लम्बे समय के लिए टाल दिया जाता है, जिसके कारण सदन में विधायकों की ओर से किए सवालों का जवाब नहीं मिल पाता।

सवाल का जवाब नहीं मिलने से विधायकों को भी अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराने में परेशानी खड़ी होती है। सवालों को लेकर लापरवाही बरतने पर आज तक किसी भी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई है। *(दै.भा., 26.06.19)*

'स्मार्ट विलेज' योजना की सुस्त चाल

गांवों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिहाज से शुरू की गई स्मार्ट विलेज योजना सिर्फ घोषणा ही बन कर रह गई है। यह योजना करीब छह विभागों के सहयोग से पांच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में संचालित की जानी थी।

पिछली सरकार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। इस योजना के तहत ऐसे गांवों में सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइट लगाने, ई-पुस्तकालय व नॉलेज सेंटर बनाने, कचरा प्रबंधन, वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने, गार्डन, खेल एवं चारागाहों का विकास जैसे कई कार्य कराए जाने थे। ग्रामीणों को आशा है कि अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार ग्रामीण विकास की इस योजना को गति देगी। *(दै.न., 17.04.19)*

बीमा के नाम पर हुआ किसानों से धोखा

सहकारी बैंकों से -ऋण लेने वाले किसानों के साथ बैंक ने ही धोखाधड़ी कर दी। राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव (अपेक्स) बैंक ने दुर्घटना बीमा के नाम पर करीब 18 लाख किसानों से 30 करोड़ रुपए एकत्र कर यह राशि निजी बीमा कंपनी को थमा दी। अब एक साल बाद की स्थिति यह है कि प्रदेश के किसानों के 21 करोड़ के क्लेम किए गए, लेकिन बीमा कंपनी ने कोई क्लेम पास नहीं किया।

दुर्घटनाओं से पीड़ित किसान अब क्लेम के लिए कंपनी और बैंकों के यहां चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कंपनी पीड़ित किसानों को नियम-कानून का बहाना कर क्लेम अटका रही है। गौरतलब यह है कि इस बार दुर्घटना बीमा के नाम पर प्रत्येक किसान से 188 रुपए लिए गए हैं। नीरज के. पवन, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने भी इस बात को स्वीकार किया है और कहा है कि सालभर में एक भी क्लेम पास नहीं हुआ। *(रा.प., 18.05.19)*

बिना भवन निर्माण बांटे हाउसिंग लोन

पाली जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक में 36 करोड़ रुपए के फर्जी हाउस लोन देने का बड़ा घोटाला सामने आया है। बैंक के तत्कालीन एमडी भवानी सिंह कविया, चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह सहित करीब 10 बैंक कर्मियों द्वारा दलालों की मिलीभगत से बिना भवन निर्माण हुए करोड़ों रुपए के हाउसिंग लोन बांट दिए गए। फर्जी दस्तावेजों व दलालों के हस्ताक्षरों से करोड़ों रुपए का फंड ट्रांसफर भी हुआ।

नतीजा यह रहा कि जिस बैंक का वर्ष 2014 में एनपीए 4 करोड़ था, वह वर्ष 2018 में 40 करोड़ हो गया। लोन ऐसे अपात्र लोगों को दिए गए जिनसे रिकवरी होना भी मुश्किल है। सहकारिता विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार शुभम जैन ने मामले की जांच रिपोर्ट रजिस्ट्रार नीरज के. पवन को सौंपी है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि लोन देने पर रोक होने के बावजूद बैंक का जो टारगेट था उससे 550 प्रतिशत अधिक लोन बांटे गए। मामले में अब 21 बैंककर्मियों से 4.54 करोड़ की वसूली की जानी है। *(रा.प., 21.05.19, 10.06.19)*

कंगाली में 'पीड़ित प्रतिकर योजना'

प्रदेश में बलात्कार, तेजाब फेंकने जैसे संगीन अपराधों के शिकार पीड़ितों के आंसू पोंछने की 'पीड़ित प्रतिकर योजना' कंगाली से जूझ रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में बजट की कमी के चलते पीड़ितों के 9 करोड़ 66 लाख रुपए उधार रह गए। यह हालात लगातार दूसरे साल भी बने हुए हैं।

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 में लागू की गई थी। इसके तहत विभिन्न तरह के अपराधों के पीड़ितों की मदद करने का सरकार ने प्रावधान किया था। अब इस योजना में फंड की कमी आ गई है। इसके चलते पीड़ितों को समय पर आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। फिलहाल सरकार पर पीड़ितों के 9 करोड़ 66 लाख रुपए बकाया चल रहे हैं। वहीं पीड़ित व उनके परिजन इसके लिए चक्कर काट रहे हैं। *(रा.प., 13.05.19)*

कमीशन के लिए किसानों को दिया लोन

श्रीगंगानगर में रोक के बावजूद 15 करोड़ रुपए के लोन देने के घोटाले ने सहकारी बैंकों में कमीशन के खेल को उजागर कर दिया है। ब्याज मुक्त लोन के लिए किसानों से सहकारी बैंक के अधिकारी कर्मचारी कमीशन लेते हैं।

किसान जहां लोन के लिए बैंक में चक्कर लगाते हैं वहीं श्रीगंगानगर में किसानों को बुला-बुलाकर लोन दिया गया है। एक ही शाखा ने मनाही के बावजूद छह करोड़ रुपए से भी ज्यादा के लोन बांट दिए। तीन माह पहले कमीशन का ऑफर तत्कालीन एमडी के पास पहुंचा तो इस खेल का भांडा फूटा। जांच शुरू हुई तो आधा दर्जन से भी ज्यादा शाखाओं में घपला सामने आया। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। *(दै.भा., 01.04.19)*

एकल शिक्षक के भरोसे पूरा प्रदेश

प्रदेश के 64,278 सरकारी स्कूलों में से 9008 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे पर चल रहे हैं। सरकार की अधिकारिक रिपोर्ट में यह तस्वीर सामने आई है। जिस दिन शिक्षक अवकाश पर रहता है, उस दिन स्कूल में अघोषित छुट्टी हो जाती है। इनमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल शामिल हैं।

यह ही नहीं प्रदेश में आज भी 167 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास भवन नहीं हैं। ये स्कूल सड़क पर या पेड़ के नीचे खुले में चल रहे हैं। विचारणीय यह है कि जहां स्कूलों में हर साल बच्चों की संख्या और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार की ओर से शहरों से लेकर गांवों तक अभियान चलाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर डाइस 2017-18 की यह रिपोर्ट राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा करती है। *(रा.प., 10.04.19)*

स्मार्ट मीटर खरीद में हुआ घालमेल

जयपुर डिस्कॉम में स्मार्ट मीटर लगाने से जुड़े एक जैसे कार्य के लिए अलग-अलग दर पर कार्यादेश जारी करने और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर रीडिंग कार्यादेश सौंपने से पहले बेहतर तरीके से नेगोशिएशन नहीं होने का मामला सामने आया है। डिस्कॉम के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम सरकार की जांच के दायरे में आए। जांच रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि स्मार्ट मीटर से जुड़ी एक निविदा में 10 प्रतिशत ज्यादा दर पर काम दिया गया है।

करीब 195.46 करोड़ रुपए की लागत का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर रीडिंग का कार्यादेश की प्रक्रिया को भी कठघरे में खड़ा किया गया है। इन पर डिस्कॉम प्रशासन ने ही सवाल उठा दिए हैं। सरकारी खजाने को लुटाने के इस मामले पर सरकार ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है और डिस्कॉम प्रशासन से अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट मांगी है। *(रा.प., 09.04.19)*

सालों बीते, नहीं खुली ड्रग टेस्टिंग लैब

राज्य सरकार ने सात साल पहले जोधपुर, उदयपुर व बीकानेर में ड्रग टेस्टिंग लैब खोलने की घोषणा की थी। लेकिन अभी तक यह घोषणा धरातल पर नहीं आ सकी। केवल यहां भवन बने हैं उपकरण नहीं खरीदे और स्टाफ भी नियुक्त नहीं है। जबकि राज्य सरकार द्वारा जयपुर समेत चारों लेबों को बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए तक का बजट जारी किया जा चुका है। लेकिन अभी तक लैब नहीं खुलने से वहां के दवाओं के सैंपल जयपुर लाने पड़ रहे हैं। नकली दवाओं को रोकने व नमूनों की पेंडेंसी कम करने के लिए जोधपुर, उदयपुर व बीकानेर में नई ड्रग टेस्टिंग लैब नहीं खुलने से जिम्मेदार अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। चिकित्सा मंत्री डा. रघु शर्मा ने कहा है कि भवन बन कर तैयार है, अब इन्हें जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। *(दै.भा., 28.06.19)*

इलाज में बेचनी पड़ रही संपत्ति

भारत में टीबी (तपेदिक) का निःशुल्क इलाज होने के बावजूद हर चार में से एक मरीज को उपचार के लिए कर्ज लेना पड़ता है या अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है। केंद्र सरकार 2025 तक देश को टीबी से मुक्त करना चाहती है।

मार्च 2019 में इंडियन जर्नल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, टीबी के करीब 21.3 फीसदी मरीजों को इलाज के लिए अपनी आय से ज्यादा खर्च करना पड़ा। टीबी के कुल मरीजों में करीब 35 प्रतिशत दलित होते हैं। करीब 27.9 लाख मरीजों के साथ टीबी से प्रभावित देशों की सूची में भारत शीर्ष पर है। *(रा.प., 04.06.19)*

रद्दी हो रही करोड़ों रुपए की किताबें

सरकार बदलने के साथ ही हर पांच साल में स्कूली पाठ्यक्रम भी बदला जा रहा है। बार-बार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होने से हर बार करोड़ों रुपए की लाखों किताबें रद्दी हो रही है। मगर इसकी चिंता किसी भी राजनीतिक दल की सरकार को नहीं है। यह क्रम 1998 से लगातार चल रहा है। वर्ष 2016 में 6 करोड़ रुपए की 30 लाख किताबें बेकार हो गईं थी।

इस बार किए जा रहे पाठ्यक्रम में बदलाव से एक बार फिर पिछले साल की छपी हुई हजारों किताबें रद्दी में तब्दील हो गई हैं। जानकारी के अनुसार इस बार आठवीं से 12वीं की छह से अधिक किताबों में परिवर्तन किया गया है। जिसके चलते पिछले साल की हजारों किताबें शोपीस बन गई हैं। *(रा.प., 21.05.19)*

कैसे सुधरे आग बुझाने का सिस्टम

लोग सुविधा सेवा और सुरक्षा की एवज में जयपुर नगर निगम को हर साल 300 करोड़ रुपए टैक्स देते हैं। लेकिन नगर निगम आगजनी जैसी घटनाओं को लेकर भी गंभीर नहीं है। पांच साल पहले 6 करोड़ रुपए खर्च कर फायर फाइटिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए 10 चेसिस खरीदे गए।

खरीद के बाद से वाहन वीकेआई फायर स्टेशन पर खड़े रहे। जनता का पैसा तो खर्च हो गया लेकिन इस पर अफसरों की लापरवाही की जंग आ चढ़ी और इन चेसिस पर बॉडी भी नहीं बंध पाई। चेसिस भी कबाड़ हो गए। फायर फाइटिंग टीम मजबूत नहीं हुई, 6 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। सालभर पहले इनको रिपेयर के लिए अजमेर रोड़ स्थित अशोक लिलेंड वर्कशाप भेज दिया गया। लेकिन अभी तक चेसिस की बॉडी नहीं बनी। *(दै.भा., 30.05.19)*

पानी के मीटरः नहीं भुनाई केंद्र की मदद

केंद्र सरकार की मदद के बावजूद जयपुर में लाखों उपभोक्ताओं की जेब ढीली की जा रही है। मामला पानी के मीटर से जुड़ा है। करीब 2.55 लाख मीटर खराब रहे और औसत बिल के नाम पर इन उपभोक्ताओं की लगातार जेब काटी जाती रही। जबकि अमृत योजना के 70 हजार मीटर बदलने का खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। लापरवाही के चलते अभी तक मात्र 35 हजार ही बदले जा सके हैं।

इसके अलावा करीब 2.25 लाख मीटर अब भी खराब या बदहाल हैं। यानी 52 फीसदी मीटर अब भी बंद है। इन्हें बदलने के लिए करीब 70 करोड़ रुपए की जरूरत है, जिसका प्रस्ताव अब तक भी केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंचाया जा सका है। *(रा.प., 29.06.19)*

तीन साल में ली 41 महिलाओं ने घूस

प्रदेश में घूस का लालच इस कदर बढ़ चुका है कि महिलाएं भी रिश्वत की राशि लेने में पीछे नहीं रही हैं। इनमें कांस्टेबल हो पटवारी या फिर आईएएस घूस खाते पकड़ी गई हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की ओर से तैयार एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि प्रदेश में तीन साल में 41 महिलाओं के हाथ घूस की रकम लेते हुए लाल हुए थे।

पुलिस महकमें में कुछ साल पूर्व शामिल हुई एसआई बबीता ने महिलाओं में सबसे ज्यादा रकम पांच लाख रुपए लेने का रिकॉर्ड बनाया। जबकि इनमें सबसे कम रकम 500 रुपए लेने वाली पटवारी अनिता चेजेरा के नाम रिकॉर्ड है। इन सभी 41 महिलाओं ने 15 लाख 22 हजार 200 रुपए की घूस की रकम ली थी। *(दै.न., 02.06.19)*

नकद लेनदेन पर लग सकता है कर

काले धन पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में नया कर लगा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार नकद लेनदेन पर रोक लगाने के लिए बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लगा सकती है। मामले से जुड़े मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि बजट पूर्व बैठक में इस पर चर्चा हुई है। इसकी व्यवहारिकता की जांच की जा रही है।

साथ ही टैक्स विभाग पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर कर लगाने पर भी विचार कर रहा है। यह कर पहले भी लगता था, लेकिन 1985 में इसे खत्म कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक विभाग द्वारा 5 लाख रुपए से कम मूल्य वाली प्रॉपर्टी को टैक्स दायरे से बाहर रखा जा सकता है। *(रा.प., 28.05.19)*

आचार संहिता के बाद बढ़ा भ्रष्टाचार

सरकारी महकमों में कार्यरत अफसर कर्मचारियों ने भले ही विधानसभा चुनावों के दौरान रिश्वत लेना बंद कर दिया था, लेकिन लोकसभा चुनावों में आचार संहिता लगने के बाद ही अफसरों ने ताबड़तोड़ रिश्वत लेना शुरू कर दिया। प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद अचानक रिश्वत लेने वाले अफसरों का आंकड़ा तीन गुना हो गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के डीजी, आलोक त्रिपाठी के अनुसार इन दिनों काफी शिकायतें मिली। ऐसे में रिश्वत लेने वालों के खिलाफ तत्काल शिकायत का सत्यापन करने के बाद कार्रवाई की गई है। एसीबी के दिनेश एमएन, आई.जी. का कहना है कि इस दौरान ट्रेप की कार्रवाई के साथ आय से अधिक संपत्ति के मामले भी सामने आए हैं। *(दै.भा., 25.05.19)*

कागजी भ्रष्टाचार थमे कैसे

भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए कानून सात माह पहले बदल गया लेकिन उसका धरातल पर असर नजर नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बातें सिर्फ कागजों में ही हो रही है। कानूनन ट्रायल दो साल में पूरी होनी चाहिए लेकिन जांच एजेंसियों के गवाहों की लंबी सूची पेश करने और गवाहों के नहीं आने से इसकी पालना मुश्किल ही नजर आ रही है।

खान महाघूस कांड, एकल पट्टा प्रकरण, पीएचडी घूस कांड, स्वास्थ्य विभाग प्रकरण और सहीराम मीणा का प्रकरण जैसे कई बड़े मामले ऐसे हैं जिनमें गवाहों की सूची लम्बी होने से काफी समय से सुनवाई ही नहीं हो रही। इन मामलों में आईएएस और कई बड़े अधिकारी फंसे हैं। *(रा.प., 01.04.19)*

नोटों के बंडल पर सोता था इंजीनियर

पथ निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (पटना पश्चिमी) सुरेश प्रकाश सिंह के पटेल नगर स्थित घर को निगरानी के ऑपरेशन में खंगाला गया। उनके बेडरूम में दीवान के गद्दे के नीचे बने बॉक्स में छिपाकर रखे गए 2.36 करोड़ रुपए के बंडलों को देख कर निगरानी टीम के अफसर भी चौंक गए।

सभी कैश को दो बैग एक झोला व दो छोटे बोरे में भर कर रखा गया था। इन नोटों को गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। इंजीनियर के साथ कैशियर शशिभूषण कुमार को भी 32 लाख रुपए की रिश्वत लेने व टेंडर का 0.8 फीसदी कमीशन मांगने पर गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल दोनों से पूछताछ जारी है। *(दै.भा., 09.06.19)*

नहीं होगी कालेधन की जानकारी साझा

केंद्र सरकार ने गोपनीयता की दुहाई देते हुए स्विट्जरलैंड से कालेधन मामलों पर स्विट्जरलैंड सरकार से मिली सूचना को साझा करने से इनकार कर दिया है। सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि जारी जांच के तहत भारत और स्विट्जरलैंड मामला-दर-मामला के आधार पर कालेधन पर सूचना साझा करते हैं। यह एक तय प्रक्रिया है।

एक आरटीआई आवेदन में पूछे सवालों के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि स्विट्जरलैंड ने कालाधन मामलों पर जो सूचना दी है, वह गोपनीयता के नियमों के तहत आती है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि देश के अंदर और बाहर कितना कालाधन का चलन है इसका अनुमान नहीं है। *(रा.प.एवं दै.भा., 18.05.19)*

सीजेआई ने पकड़ी कोर्ट में 'फिक्सिंग'

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में 'फिक्सिंग' पकड़ ली। 'नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड बनाम फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन' का मामला सुनवाई के लिए आते ही उन्होंने कहा कि कोर्ट में इसे इतनी जल्दी सूचीबद्ध करने का निर्देश नहीं दिया था। फिर भी इसे इतनी जल्दी सूचिबद्ध कैसे कर दिया गया?

सीजेआई ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए लिखित आदेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से जवाब तलब किया है। पहले भी इससे मिलता-जुलता मामला तब सामने आया था जब उद्यमी अनिल अंबानी से जुड़े रिलायंस कम्यूनिकेशन बनाम एरिक्सन मामले में कोर्ट के आदेश से छेड़छाड़ की गई थी। जिसमें दो कर्मी बर्खास्त हुए थे। *(रा.प., 28.04.19)*

जानिए: कैसे रंगे हाथ पकड़ा जाता है रिश्वतखोर

भ्रष्टाचारियों को जाल में फंसने वाले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ट्रेप से पहले अपनों और गवाहों पर पूरी निगरानी रखता है। घूसखोर को पकड़ने वाली टीम में छह जने होते हैं। जिसमें शिकायतकर्ता और दो स्वतंत्र गवाह भी होते हैं। उन्हें एसीबी मामले को पूरी तरह गोपनीय रखने के लिए पाबंद करती है। साथ ही उन पर पूरी निगरानी रखती है। शिकायत की पुष्टि के लिए एसीबी के कर्मचारी को रिश्वत देने वाले पीड़ित पर नजर रखने के लिए लगाया जाता है। पीड़ित से रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर कर्मचारी मामले की गोपनियता बरतते हुए संबंधित आला अधिकारी को अवगत कराता है।

किस भ्रष्टाचारी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाना है इसकी जानकारी सिर्फ पीड़ित व्यक्ति, सत्यापन करने वाले कर्मचारी, रिकार्डिंग की स्क्रिप्ट बनाने वाले कम्प्यूटरकर्मी, दो स्वतंत्र गवाहों को होती है। सभी को पाबंद किया जाता है कि इसकी सूचना किसी भी अन्य व्यक्ति के पास नहीं जानी चाहिए। कार्रवाई करने वाली टीम को कार्रवाई वाले दिन एसीबी मुख्यालय में बुलाया जाता है। सत्यापन वाली रिकार्डिंग फिर से सुनी जाती है। पीड़ित से रिश्वत में दिए जाने वाले नोट लिए जाते हैं और उन पर रंग छूटने वाला पाउडर लगाया जाता है और नोटों को स्वतंत्र गवाहों के हाथ से पीड़ित की जेब में रखवाया जाता है।

पीड़ित को भ्रष्टाचारी को वह रकम देने के लिए भेजा जाता है। स्वतंत्र गवाहों के साथ एसीबी टीम उसके पीछे रवाना होती है। पीड़ित द्वारा भ्रष्टाचारी को रकम देने के बाद कुछ दूरी पर खड़ी एसीबी टीम को संकेत दिया जाता है। इसके तुरंत बाद टीम भ्रष्टाचारी की कलाई को पकड़ती है। रकम मिलने पर भ्रष्टाचारी के हाथ धुलवाए जाते हैं। हाथों पर लगा रंग छूटने पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और उसके घर की तलाशी लेकर गवाह के सामने ही पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं। *(रा.प., 02.04.19)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
बारां	हुकमसिंह कुशवाहा	ग्राम विकास अधिकारी, पलायथा पंचायत समिति	20,000	दै.भा., 09.04.19
झालावाड़	उमाशंकर शर्मा	एईएन, समग्र शिक्षा अभियान, झालावाड़	15,000	दै.भा., 09.04.19
बांसवाड़ा	भरत मलात गणेश लबाना	वरिष्ठ लिपिक, अरथूना पंचायत समिति निजी सुपरवाइजर, अरथूना पंचायत समिति	40,000	रा.प. एवं दै.न., 10.04.19
कोटा	सुगना वर्मा	महिला सब इंस्पेक्टर, जवाहर नगर थाना, कोटा	30,000	रा.प. एवं दै.भा., 12.04.19
जोधपुर	विजय सिंह नाहटा	अतिरिक्त जिला कलक्टर, शहर (द्वितीय) जोधपुर	10,000	दै.भा. एवं रा.प., 19.04.19
जयपुर	रघुवीर सिंह बैरवा	एएसआई, माणक चौक थाना, जयपुर	25,000	रा.प. एवं दै.न., 23.04.19
बीकानेर	जयदीप मित्तल	तहसीलदार, बीकानेर	10,000	रा.प., 10.05.19
बूंदी	मिथलेश जैन	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बूंदी	10,000	दै.भा. एवं दै.न., 21.05.19
अजमेर	सुरेन्द्र कुमार नवरतन सोलंकी	सहायक अभियंता, जलदाय विभाग, अजमेर वरिष्ठ निजी सहायक, जलदाय विभाग, अजमेर	1,00,000	रा.प. एवं दै.भा., 23.05.19
भीलवाड़ा	श्यामलाल गुर्जर	अपर लोक अभियोजक, जिला एवं सत्र न्यायालय	80,000	दै.भा. एवं रा.प., 24.05.19
झुंझुनूं	विनयपाल मनोज कुमावत	आयुक्त, नगर परिषद, झुंझुनूं पार्षद वार्ड नं. 8, नगर परिषद, झुंझुनूं	1,00,000	दै.न., 25.05.19
बूंदी	दिलीप गोयल संजीव कुमार गोयल	हलका पटवारी, बूंदी सचिव, पंचायत समिति, बूंदी	25,000	रा.प., 30.05.19
बूंदी	ओम प्रकाश चंदोलिया	उपअधीक्षक, पुलिस थाना लाखेरी	24,000	रा.प., 07.06.19
राजसमंद	गीतादेवी	सरपंच, समेलिया ग्राम पंचायत, राजसमंद	10,000	रा.प., 13.06.19
जयपुर	रोहिताश बुनकर	सरपंच, केला का बास ग्राम पंचायत, जमवारामगढ़	20,000	दै.भा., 15.06.19
चित्तौड़गढ़	महिपाल जाटव	सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम	30,000	रा.प. एवं दै.भा., 27.06.19

सभी किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद

अब हर किसान परिवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6000 रुपए की सरकारी आर्थिक सहायता मिल सकेगी, बेशक उनके पास कितनी भी जमीन हो।

सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्षों, केन्द्र व राज्य सरकार के सेवारत तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों और आयकर देने वाले किसान परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही पेशेवर संस्थाओं से पंजीकृत चिकित्सक, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, और वास्तुविद् किसान परिवार भी योजना का हिस्सा नहीं होंगे। कृषि मंत्रालय द्वारा इस बारे में सभी राज्य सरकारों को पत्र भिजवाकर कहा गया है कि योजना के दायरे में आने वाले तमाम योग्य लोगों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए।

(दै.भा. एवं दै.न., 09.06.19)

सरकारी अस्पतालों में जांचें होगी मुफ्त

राज्य सरकार ने निःशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों सहित जिला अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच संख्या बढ़ा दी है।

अब मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में जांच संख्या को 70 से बढ़ाकर 90, जिला व समकक्ष अस्पतालों में 56 से बढ़ाकर 71, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 37 से बढ़ाकर 44 और और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 15 से बढ़ाकर 36 किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि आमजन को बेहतर चिकित्सा मिले इसके लिए जांच सुविधाओं का दायरा बढ़ाया गया है। अब जिला और कस्बे तक फ्री जांचें होगी। इसके अलावा हार्ट, कैंसर व किडनी सहित अन्य गंभीर बीमारियों की दवाएं भी मुफ्त दी जाएंगी।

(दै.भा., 04.06.19)

मिलावट रोकने के लिए 'मुखबिर योजना'

प्रदेश में राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र के आधार पर खाद्य सामग्रियों में मिलावट की रोकथाम के लिए राज्य व जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां खाद्य सामग्रियों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। इसके अलावा मिलावट के बढ़ते कारोबार पर रोक के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा 'मुखबिर योजना' लागू करने की भी तैयारी की जा रही है। इसके तहत मिलावट की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखते हुए उसे इनाम दिया जाएगा। इनामी राशि कितनी होगी यह अभी तय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने योजना का प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है।

(दै.भा., 17.04.19 एवं रा.प.15.05.19)

कृषि क्षेत्र में होंगे तेजी से सुधार

किसानों को फसल के बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए नीति आयोग ने नई नीति तैयार की है। इसमें किसानों की आय में वृद्धि के साथ सूखे की स्थिति में उन्हें राहत देने के उपायों को शामिल किया गया है। नई नीति में किसानों को फसल की बुआई सहित कृषि से जुड़े अन्य पहलुओं पर उपयोगी सलाह देने की व्यवस्था भी की गई है। इससे कृषि क्षेत्र में तेजी से सुधार लाए जा सकेंगे।

आयोग के सदस्य रमेश चंद ने बताया कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जब ज्यादातर नए सरकारी काम थमे हुए थे, उस दौरान आयोग ने इस नीति का मसौदा तैयार कर नई सरकार के शुरुआती ऐजेंडा में रखा है।

(रा.प., 28.05.19)

मनरेगा योजना के कार्यों को बढ़ावा

प्रदेश में मनरेगा योजना के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सभी नौ हजार 894 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम एक कार्य प्रति पंचायत मंजूरी देनी होगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने इस बारे में जिला परिषदों को निर्देश जारी किए हैं। जहां संभावना हो वहां एक से अधिक कार्यों की भी स्वीकृति दी जा सकेगी।

मनरेगा योजना के कार्यों को तय लक्ष्यों में पूरा नहीं कर पाने के कारण यह कार्य व्यवस्था तय की गई है। प्राथमिकता के बावजूद अब तक मनरेगा में 21 लाख में से महज सात लाख काम पूरे हो पाए हैं। कार्यों की जिओ टेगिंग के भी जिला परिषदों को निर्देश जारी कि ए गए हैं।

(दै.न., 01.04.19)

जैविक खाद का उत्पादन होगा अनिवार्य

उर्वरक कंपनियों के लिए रासायनिक खाद के साथ ही कम से कम 10 फीसदी जैविक खाद के उत्पादन को अनिवार्य किया जा सकता है। राष्ट्रीय कामधेनू आयोग सरकार से इसकी सिफारिश कर सकता है।

आयोग का मानना है इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ ही आयातित उर्वरक पर निर्भरता कम होगी। इस कदम से खेती की लागत में कमी लाई जा सकती है। देश में इस समय तकरीबन 92 प्रतिशत रासायनिक खादों का इस्तेमाल खेती में हो रहा है। इससे मिट्टी की उर्वरता घटने के साथ ही कृषि उत्पादों की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। *(रा.प., 11.05.19)*

अब देश में दो ही जाति, एक गरीब और दूसरी गरीबी से मुक्ति दिलाने वाली!

लोकसभा चुनाव 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को फिर से सरकार बनाने का जनादेश मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें प्रचंड बहुमत के बाद भी पूरी नम्रता के साथ, लोकतंत्र की मर्यादाओं के बीच चलना है। संविधान हमारा सर्वोच्च है, उसी की छाया में हमें चलना है।

उन्होंने कहा, यह लोकतंत्र के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। जनता ने नया नैरेटिव सामने रखा है। सारे समाजशास्त्रियों को पुरानी सोच पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। वो नैरेटिव ये है कि देश में अब सिर्फ दो जाति बचेगी। यह जाति के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। ये दो जातियां हैं गरीब और देश को गरीबी से मुक्त करने के लिए योगदान देने वालों की...।

(रा.प., 24.05.19)

धोरों में आएगी ऊर्जा की आंधी

देश में बाड़मेर ऑयल फील्ड धोरों में ऊर्जा की आंधी बनने जा रहा है। आने वाले दो साल में बाड़मेर में 1.75 लाख बैरल प्रति दिन की जगह 3 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन हो सकेगा। देश के घरेलू तेल के उत्पादन 7 लाख बैरल प्रतिदिन में अभी बाड़मेर का हिस्सा 23 फीसदी है, जो करीब 50 फीसदी पहुंच जाएगा। देश में बाड़मेर अब एक मात्र ऑयल फील्ड है जिसको 'यंग ऑयल फील्ड' माना जा रहा है।

तेल को लेकर राजनीतिक उठापटक होती रहती है। ईरान से तेल नहीं लेने की स्थितियां हों या अन्य देशों से तेल आयात के मामले इसमें कई बार राजनीतिक अनिश्चितता बनी रही है। इसका एकमात्र समाधान घरेलू उत्पादन बढ़ाकर देश को समृद्ध बनाना है।

(रा.प., 03.05.19)

छिपाया जा रहा बिजली चोरी का जुर्म

चोरी करना जुर्म है, लेकिन जयपुर डिस्कॉम बिजली चोरों को पैनल्टी वसूल कर ही जाने दे रहा है। बिजली चोरी के मामलों में सख्त एक्शन के बजाय ज्यादातर मामलों में पैनल्टी वसूल कर इतिश्री की जाती रही है। 93 प्रतिशत से ज्यादा मामलों में ऐसा ही हुआ है। खुद डिस्कॉम इसे अपराध मानता है लेकिन कंपाउंडिग के चलते मामला दर्ज कराने से बचते है। जयपुर में ही एक साल में 2400 से ज्यादा मामलों में ऐसा हो रहा है। जबकि दूसरी बार चोरी मिलने पर एफआईआर का प्रावधान है, लेकिन इसका ग्राफ काफी कम है।

कंपाउंडिग के जरिए वसूली जाने वाली राशि संबंधित डिस्कॉम की तिजोरी में नहीं, बल्कि सरकार के खाते में जाती है इससे सरकार को भी फायदा है। डिस्कॉम को केवल निर्धारित उपभोग की गई बिजली के पेटे राशि मिलती है।

(रा.प., 12.06.19)

झेलनी पड़ती है अघोषित कटौती

जयपुर डिस्कॉम के सिटी सर्किल में सिस्टम मेंटिनेंस के नाम पर तीन साल में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च कर दिया। वहीं 100 करोड़ रुपए से ज्यादा आईपीडीएस व अन्य सुधार प्रोग्राम में बड़ी कंपनियों को भुगतान हो गया। इसके बावजूद सिस्टम ओवरलोड है और बारिश आंधी आते ही शहर के आठ लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली गुल की दिक्कत झेलनी पड़ रही है।

इसके साथ ही 'नो करंट' की शिकायतों के निस्तारण करने वाली कॉल सेंटर कंपनी को हर महीने 60 से 65 लाख रुपए दे रहे हैं। जबकि यह सिर्फ एक से दो घंटे ही उपभोक्ता की शिकायतों का निस्तारण करती है। लेकिन उपभोक्ता की शिकायतों का सही निस्तारण नहीं हो रहा है।

(दै.भा., 30.04.19)

जयपुर डिस्कॉम ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज

जयपुर डिस्कॉम अप्रेल से जून 2019 तक उपभोग की गई बिजली पर फ्यूल सरचार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं से बिलों में 200 से 800 रुपए तक की ज्यादा वसूली करेगा। हर यूनिट बिजली खर्च पर 55 पैसे का फ्यूल सरचार्ज लगेगा। जबकि पहले फ्यूल सरचार्ज की अधिकतम सीमा 37 पैसे प्रति यूनिट ही थी। इससे उपभोक्ताओं की जेब पर बिजली खर्च का अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा।

अब जुलाई से मिलने वाले बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज की राशि जुड़कर आएगी। बिजली कंपनियां फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली करेगी। अकेले जयपुर डिस्कॉम अपने उपभोक्ताओं से करीब 180 करोड़ रुपए की वसूली करेगा। जबकि बिजली चोरी और छीजत भी ईमानदार उपभोक्ताओं को वहन करनी पड़ रही है।

(रा.प. एवं दै.भा., 25.06.19)

देश सरप्लस बिजली के लक्ष्य से चूका

भारत एक बार फिर बिजली सरप्लस वाला राष्ट्र बनने के लक्ष्य से चूक गया है। हालांकि चूक का अंतर बहुत कम है। वर्ष 2018-19 में व्यस्त समय में बिजली की मांग और आपूर्ति में अंतर 0.8 प्रतिशत रहा और कुल मिलाकर ऊर्जा कमी 0.6 प्रतिशत पर बनी रही। जबकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2018-19 में कुल मिलाकर ऊर्जा तथा व्यस्त समय में बिजली सरप्लस क्रमशः 4.6 प्रतिशत तथा 2.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था।

इसका मतलब था भारत वित्त वर्ष 2018-19 में बिजली सरप्लस वाला देश बन जाएगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के ताजा आंकड़ों के अनुसार व्यस्त समय में कुल 1,77,020 मेगावाट मांग के मुकाबले आपूर्ति 1,75,520 मेगावाट रही। इस प्रकार कमी 1490 मेगावाट यानी 0.8 प्रतिशत रही।

(न.नु., 20.04.19)

उम्रदराज यूनिटों ने बनाई क्षमता से ज्यादा बिजली

तय उम्र पूरी कर चुकी कोटा थर्मल की यूनिटें अब भी अपनी क्षमता से ज्यादा विद्युत उत्पादन कर रही है। पिछले साल के मुकाबले कोटा थर्मल ने इस बार 7,165 लाख यूनिट बिजली का ज्यादा उत्पादन किया है। इतना ही नहीं कोयले और ऑयल की खपत घटाने के साथ ही डैमरेज भी कंट्रोल किया गया।

सात में से तीन यूनिटों की उम्र पूरी होने के बावजूद बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट इस साल भी अपनी धाक बनाए रखने में सफल रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 में कोटा थर्मल ने 79,295 लाख यूनिट बिजली बनाई तो पिछले साल से 7,165 लाख यूनिट ज्यादा है। पूरे साल में प्लांट ने अपनी मानक उपलब्धता 82 प्रतिशत के मुकाबले इस साल 4.86 फीसदी ज्यादा उत्पादन किया है।

(रा.प., 03.04.19)

खाली भूमि पर लगेंगे सोलर प्लांट

प्रदेशभर में विद्युत कंपनियां अब सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगी। इसके लिए कंपनियों के सब स्टेशनों पर उपलब्ध अनुपयोगी भूमि पर सोलर ऊर्जा प्लांट लगाकर बिजली पैदा की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में गहलोत ने प्रदेश की विद्युत कंपनियों को एक लाख नए कृषि बिजली कनेक्शन देने के लक्ष्य को पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। *(दै.न., 06.06.19)*

'पानी बचाओ' एक अभियान बने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शुद्ध पेयजल जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगले पांच साल में देश का कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा, जहां तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था न हो। इसके लिए पानी से संबंधित सभी मंत्रालयों को शामिल कर जलशक्ति मंत्रालय बनाया गया है, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो सके।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि जल संरक्षण के लिए देश में स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर 'पानी बचाओ' अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने जनता से इस अभियान में जुटने का आह्वान करते हुए बताया कि इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक महा–अभियान बनाने के लिए सभी सरपंचों के नाम पत्र जारी किए गए हैं। उन्हें बरसाती पानी के संरक्षण के लिए हर संभव काम कराने को कहा गया है। *(रा.प. एवं दै.भा., 15.06.19)*

ड्रिप सिंचाई योजना से बन रहे लखपति

ओडिशा के तांगिरिअपल के आदिवासी गांवों में भले ही पक्की सड़क नहीं हो, लेकिन वहां पर भी किसान ड्रिप सिंचाई करके लखपति बन रहे हैं। मानसून पर निर्भर रहने वाले किसान जो साल में एक फसल उगा पाते थे, आज ड्रिप सिंचाई करके पूरे सालभर व्यापारिक खेती कर लेते हैं।

यह बदलाव मूलतः सीआईएनआई नामक संस्था के द्वारा आदिवासियों को उचित ट्रेनिंग दिए जाने की वजह से संभव हुआ है। जहां पहले इन किसानों की वार्षिक औसत आय 35 से 40 हजार रुपए हुआ करती थी आज वो बढ़कर एक लाख रुपए तक हो गई है।

(बी.एल., 21.04.19)

पीने के पानी की हो पुख्ता व्यवस्था

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब दो करोड़ 49 लाख 20 हजार लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं हो पाता। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जहां भी जरूरत हो वहां पर टैंकरों से पानी सप्लाई की व्यवस्था की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 3140 आरओ प्लांट्स एवं 1450 सौर ऊर्जा चलित डी–फ्लोरीडेशन संयंत्रों का संचालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। *(दै.न., 12.05.19)*

देश में सौ मीटर तक गिर जाएगा भूजल

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्लूबी) की एक मसौदा रिपोर्ट के अनुसार, अगले 10 साल में उत्तर पश्चिम भारत में भूजल 100 मीटर और गिर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल भूजल स्तर 51 सेंटीमीटर की दर से गिर रहा है। वर्तमान में यह इस क्षेत्र में 10–65 मीटर की गहराई पर है। पिछले कई दशकों में सूखे जैसी स्थितियों के कारण यहां भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के पूरे कृषि क्षेत्र में भूजल स्तर तेजी से कम हुआ है। दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे राज्य में भूजल आपातकाल जैसे हालात में है। यह खतरा भूमि से तेज निकासी से और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। *(रा.प., 21.05.19)*

जल की शक्ति दिखाओ शेखावत!

राजस्थान में भूजल की स्थिति खराब है। सतही पानी भी ज्यादा उपलब्ध नहीं रहता। पेयजल और सिंचाई के लिए सरकार ने नदियों को जोड़ने जैसी कई बड़ी परियोजना तो बनाई पर फंड नहीं होने से यह हिचकोले खा रही है। गजेन्द्र सिंह शेखावत के पास केंद्र में जल शक्ति मंत्रालय है। उनसे राज्य के लोगों को काफी उम्मीदें हैं।

सरकारी पानी बेचकर उठा रहे भुगतान

जलदाय विभाग के इंजीनियरों का नया 'खेल' सामने आया है। ठेकेदारों को फायदा देने के लिए पानी की कमी बताते हुए प्राइवेट कुओं और ट्यूबवेलों से पानी खरीदने का ज्यादा रेट देने का फैसला लिया गया और अब ठेकेदारों को सरकारी ट्यूबवेलों से पानी भरने की छूट देकर दोहरा फायदा दिया जा रहा है।

शहर के ज्यादातर डिविजनों में यह कारनामा हो रहा है। झोटवाड़ा सब–डिविजन में ही रोज 50 टैंकर भरकर करधनी की टंकी में पानी डाला जा रहा है। सरकारी ट्यूबवेलों से भरे जा रहे पानी की कोई मॉनिटरिंग तक नहीं है। यहां से पानी लेकर टैंकर ड्राइवर बेच भी रहे हैं। *(दै.भा., 30.06.19)*

राजस्व वसूली का पुराना ढर्रा बरकरार

जलदाय विभाग का राजस्व वसूली में पुराना ढर्रा बरकरार है। इसमें कोई तेजी नहीं आ पा रही है। विभाग के पास लंबी चौड़ी फौज होने के बाद भी वसूली का ग्राफ ना के बराबर है। अकेले जयपुर रीजन प्रथम में करीब दो हजार करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें विभाग महज 269 करोड़ की ही वसूली कर पाया है। विभाग की ओर से दो माह पूर्व वसूली का अभियान भी चलाया गया था लेकिन उसके सार्थक परिणाम नहीं आ सके।

जयपुर रीजन प्रथम में दो हजार एक सौ इक्यासी करोड़ रुपए उपभोक्ताओं में बाकी है लेकिन उसमें से वसूली केवल 269 करोड़ रुपए की ही हुई है। यह ही नहीं विभाग को सरकारी महकमें भी पैसा नहीं चुका रहे हैं। जयपुर रीजन प्रथम में सरकारी दफ्तरों में करीब 43 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें से वसूली केवल सात करोड़ रुपए ही हो सकी।

(दै.न., 18.05.19)

नीति आयोग रिपोर्ट: संसद में उठा मुद्दा

जल संचयन को लेकर हम सतर्क नहीं हुए तो देश के 21 शहरों में अगले साल 2020 से भयंकर भूजल संकट से गुजरना होगा। इन शहरों में से कई शून्य भूजल को छू लेंगे। इसका असर देश में करीब 10 करोड़ लोगों तक होगा। इनमें से छह करोड़ लोगों को पानी की एक–एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।

नीति आयोग ने इसका खुलासा 'कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स' नाम की रिपोर्ट में किया है। इनमें राजस्थान के 5 और मध्य प्रदेश के एक शहर समेत दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलूरु जैसे शहर शामिल हैं। रिपोर्ट में जल संकट को लेकर 2050 तक जीडीपी में 6 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। *(रा.प., 27.06.19)*

स्वयं सहायता समूहों ने बनाया सांसद

17वीं लोकसभा में ओडिशा की अस्का सीट से सांसद बनीं जमीनी कार्यकर्ता प्रमिला बिसोई एक किसान है और उनके पास एक एकड़ से भी कम जमीन है।

कमजोर आर्थिक हालात के चलते प्रमिला ने पहले गांव में ही एक आंगनबाड़ी में काम किया और इसके बाद एक स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की। लगन, मेहनत और समर्पण की बदौलत प्रमिला को काफी कम वक्त में सफलता मिल गई और वे ओडिशा के महिला स्वयं सहायता समूह के मिशन शक्ति की प्रतिनिधि बन गईं। प्रमिला के जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों पर गौर करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उन्हें अस्का लोकसभा सीट से बीजद उम्मीदवार के बतौर चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया। वह दो लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतीं। उसने इस जीत का श्रेय महिला समूहों को देते हुए देश की तमाम महिलाओं को उम्मीद दी है कि वे भी अपनी जिंदगी में ऊंचाईयों को छू सकती हैं।

संसद में बढ़ी महिलाओं की हिस्सेदारी

लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले चुनाव में सदन में केवल 5 फीसदी महिलाएं थी। वर्तमान में यह संख्या 14.3 फीसदी हो गई है। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है। तारीफ की जानी चाहिए बीजेडी और तृणमूल कांग्रेस की जिन्होंने क्रमशः 41 और 33 प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिए और इसके नतीजों में महिलाओं की हिस्सेदारी सुखद रही है।

देश में मुख्यधारा की राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी के समान अवसर मिलने चाहिए। संसदीय और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में महिलाओं के लिए न्यूनतम सहमत प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए।

(दै.भा., 25.05.18)

प्रसव पूर्व देखभाल में पिछड़ा राजस्थान

मातृ व शिशु मृत्यु दर सहित कई अन्य स्वास्थ्य सूचकांकों में राजस्थान निचले पायदान पर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार प्रसव से पूर्व माताओं की देखभाल के मामले में भी प्रदेश काफी पीछे है। सर्वे में देखा गया कि गर्भवती महिला प्रसव से पहले कितनी बार प्रसव पूर्व जांच के लिए अस्पताल पहुंची।

प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य मां व गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य, विकास व पोषण पर नजर रखना है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्व सुविधायुक्त अस्पताल नहीं होना, अत्यंत छोटे गांवों-ढाणियों में अस्पताल है भी तो वहां स्त्री रोग विशेषज्ञों का नहीं होना पिछड़ने का मुख्य कारण माना गया है। जिससे आज भी संस्थागत प्रसव 100 प्रतिशत नहीं है। *(रा.प., 14.05.19)*

प्रदेश के हर जिले में सीओ होंगे तैनात

राज्य में एससी-एसटी के मामलों की तर्ज पर अब महिला अत्याचार के मामलों की जांच के लिए भी हर जिले में सीओ का पद सृजित किया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में दी।

उन्होंने बताया कि प्रॉसीक्यूशन की मॉनिटरिंग पुलिस की देखरेख में होती है। उसी में महिला अत्याचार के मामलों को ट्रांसफर किया जाएगा। सीओ लेवल का अधिकारी एससी-एसटी के लिए नोडल ऑफिस होता है और सीओ लेवल का अधिकारी ही जांच करता है। वैसे ही सीओ लेवल का अधिकारी महिला अत्याचार के मामलों की मॉनिटरिंग करेगा।

पुलिस थाने में मामला दर्ज नहीं होने पर पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मामले दर्ज करा सकेंगे। थाने में मामला दर्ज नहीं करने की जांच कर थानाधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

(रा.प. एवं दै.न., 11.05.19)

अल्पसंख्यक छात्रों को देंगे छात्रवृत्ति

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि देशभर के मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा जाएगा, ताकि अल्पसंख्यकों के बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि मदरसों में कम्प्यूटर व विज्ञान विषय भी पढ़ाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अगले पांच सालों में अल्पसंख्यक समुदायों के 5 करोड़ छात्रों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। इनमें 50 फीसदी लड़कियां होंगी। मदरसों में अध्यापकों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कम्प्यूटर जैसे विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। *(दै.भा., 12.06.19)*

आपकी बेटी योजना में इजाफा

राज्य सरकार ने 'आपकी बेटी योजना' के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब कक्षा एक से आठ में अध्ययनरत बालिकाओं को 2100 रुपए तथा कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को 2500 रुपए की सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसी बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिनके माता-पिता दोनों अथवा किसी एक का निधन हो गया हो। *(दै.भा., 31.05.19)*

समूहों की आय बढ़ाने पर होगा काम

ग्रामीण विकास विभाग की राजीविका योजना के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्याओं के परिवार की आय में स्थायी वृद्धि एवं आजीविका संवर्धन के लिए राजीविका तथा सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस के मध्य एक अनुबंध किया गया है।

इस अनुबंध के तहत राजीविका में गठित फैडरेशन्स के माध्यम से इस योजना को लागू किया जाएगा। फेडरेशन की ओर से कृषि व गैर कृषि क्षेत्रों में निर्धन परिवारों के उत्पादन को संग्रहण, भंडारण व प्रसंस्करण की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस (टाटा ट्रस्ट) की ओर से उपरोक्त गतिविधियों के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। *(रा.प., 01.06.19)*

सड़क सुरक्षा

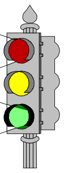

प्रदेश में हुआ सड़क हादसों में मृत्यु दर पर नियंत्रण

प्रदेश में हर साल सड़क हादसों में 10 हजार लोगों की मौतें हो रही थी। रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक होने और परिवहन पुलिस विभाग की ओर से चलाए गए कार्यक्रमों से तीन साल में सड़क हादसों में कमी आई है। वर्ष 2015 में जहां सड़क दुर्घटनाओं में 10 हजार 510 लोगों की मौतें हुई थी, इसके बाद इसमें लगातार कमी हो रही है।

वर्ष 2018 में वर्ष 2017 की तुलना में 124 लोगों की कम मौत हुई है। वहीं सड़क हादसों में भी वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में 369 सड़क हादसे कम हुए हैं। घायल भी गत वर्ष की तुलना में 524 कम हुए हैं। वर्ष 2010 से सड़क हादसों सहित मौतों में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही थी।

यह है लगातार मौतों में कमी होने की वजह:

- 2015 से पहले सड़क हादसों में मौतों में बढ़ोतरी हो रही थी। 2015 में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया।
- केंद्र ने राज्यों को वर्ष 2020 तक 50 प्रतिशत सड़क हादसों में कमी करने का लक्ष्य दिया। केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया। इसमें प्रदेश के पूर्व परिवहन मंत्री यूनुस खान को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- राज्यों में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ट बनाए गए। *(दै.भा., 29.04.19)*

जन स्वास्थ्य

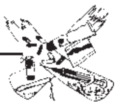

नेशनल हैल्थ इंडेक्स में इसलिए पिछड़े हम

प्रदेश स्वास्थ्य सूचकांक सुधारने के लिहाज से देश में दूसरे नंबर पर है। लेकिन दूसरी वास्तविकता यह भी है कि वर्तमान स्थिति के लिहाज से प्रदेश आज भी 16वें स्थान पर है। स्वास्थ्य पैरामीटर सुधारने के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और मिशन के तहत हर साल औसतन करीब 2000 करोड़ रुपए और अब तक करीब 28 हजार करोड़ रुपए कर दिए जाने का अनुमान है।

इसके बावजूद प्रदेश में गंभीर बीमारियां ही नहीं बल्कि सुरक्षित प्रसव के संपूर्ण साधन गांवों में ही नहीं, बल्कि जिलों के अस्पतालों तक में उपलब्ध नहीं है। प्रदेश के दूरदराज के जिलों में तो प्रसव से पहले, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद बिगड़ने वाले केस को 100 से 200 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में भेजना पड़ रहा है। दरअसल, नीति आयोग के स्वास्थ्य पैरामीटर में शिशु व मातृ मृत्यु दर सहित अस्पतालों में उपलब्ध संसाधन और स्वास्थ्य सुविधाएं ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इन तीनों ही मानकों में राजस्थान आज भी देश के 15 राज्यों से पीछे है। *(रा.प., 26.06.19)*

पिछड़ने के मुख्य कारण

- *प्रदेश में करीब 2500 से 3000 डॉक्टरों की कमी हमेशा बनी हुई है।*
- *सरकारी भर्तियां समय पर नहीं हो रही, नर्सिंग, तकनीशियनों व अन्य चिकित्सा स्टाफ के 60 हजार पद आज भी खाली हैं।*
- *डॉक्टर सरकारी सेवा में आने के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन सरकार अपना बजट देखकर पदों की स्वीकृति दे रही है,जबकि हर भर्ती में स्वीकृत पदों की तुलना में दो से तीन गुना डॉक्टर अधिक शामिल हो रहे हैं।*
- *जिलों के अस्पतालों में सभी तरह की सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त नवजात शिशु इकाइयां नहीं है।*

पर्यावरण

पेड़ काटने पर सुनाया अनूठा फैसला

प्रतापगढ़ के जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शर्मा ने वन क्षेत्र में खेर के 27 पेड़ काटते पकड़े गए बजरंगगढ़ निवासी रामा उर्फ रामलाल तेली, जसवंत धोबी, दिनेश तेली एवं मोहम्मइ हुसैन को सशर्त जमानत देते हुए अनूठा आदेश सुनाया। अदालत के फैसले के मुताबिक अब मुख्य आरोपी रामलाल तेली को एक महीने के भीतर वन क्षेत्र में आंवले के 270 पेड़ लगाने होंगे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। यह ही नहीं, उसे लगाए गए पौधों की फोटो भी कोर्ट में पेश करनी होगी। साथ ही वन विभाग की टीम को भी मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

सुनवाई के दौरान जिला जज ने आदेश में कहा कि आरोपियों ने वन विभाग की ओर से बड़ी राजकीय राशि खर्च कर लगाए गए खेर के पेड़ों का संरक्षण और पालन पोषण करते हुए बड़ा किया था। आरोपियों ने इन्हें काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सुनाया गया ये फैसला लोगों में काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। *(रा.प. एवं दै.भा., 04.06.19)*

वित्तीय सेवाएं

बैंक के खिलाफ अब ऑनलाइन शिकायत

बैंक आपकी शिकायत नहीं सुन रहा है तो अब आसानी से अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सकेंगे। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक एप लॉंच किया है। इस पर ग्राहक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे समय पर शिकायतों का निपटान होगा।

केंद्रीय बैंक ने अपनी वेबसाइट पर शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) शुरू की है। यहां उन सभी वाणिज्यक बैंक, शहरी सहकारी बैंक, और एनबीएफसी के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस प्रणाली पर दर्ज कराई जाने वाली शिकायत को ओंबड्समैन या रिजर्व बैंक के उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया जाएगा।

सीएमएस को डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रिजर्व बैंक की योजना इसे जल्द ही एक डेडिकेटेड आईवीआर (इंटरएक्टिव वॉयस रेस्पांस) प्रणाली से जोड़ने की भी है ताकि शिकायत की स्थिति को देखा जा सके। सीएमएस की लॉन्चिंग पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यह एप्लीकेशन पारदर्शिता को बढ़ावा देगी। बैंकिंग सिस्टम में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए इस तरह के कदम जरूरी है। ग्राहकों की शिकायतों को जितनी जल्दी हो सके निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। *(दै.न. एवं न.नु., 26.06.19)*

उपभोक्ता फैसले

लापरवाही बरतने पर अस्पतालों पर लगा जुर्माना

अलवर निवासी पूजा ने उपभोक्ता मंच में अलवर स्थित साहिल अस्पताल और डॉ. गीता मलिक के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में कहा गया कि वह 10 दिसंबर 2010 को अस्पताल में भर्ती हुई, जहां ऑपरेशन के जरिए उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ऑपरेशन के पहले सावधानी नहीं बरतने और चिकित्सक के अयोग्य होने से उसके पुत्र की हालत खराब हो गई। बाद में शिशु को जयपुर स्थित निजी अस्पताल में लाया गया, जहां 13 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। मंच में अस्पताल की ओर से कहा गया कि बच्चे की मौत परिवादिनी के रिश्तेदारों की गलती से हुई है।

उपभोक्ता मंच द्वारा परिवाद खारिज करने पर मामला राज्य उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराया गया। आयोग ने साहिल अस्पताल और डॉ. गीता मलिक को सिजेरियन ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का दोषी माना और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि 27 जनवरी 2011 से 9 प्रतिशत ब्याज सहित राज्य उपभोक्ता आयोग कल्याण कोष में जमा कराने का निर्देश है। साथ ही आयोग ने बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस को सात लाख रुपए व ओरिएंटल इंश्योरेंस को एक लाख तीस हजार रुपए 27 जनवरी 2011 से अदायगी तक प्रार्थिया पूजा को 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करने का निर्देश दिया है। *(रा.प. एवं दै.भा., 10.04.19)*

भारी पड़ा उपभोक्ता से कागज बैग के पैसे वसूलना

जयपुर निवासी महेश पारीक ने अपने अधिवक्ता के जरिए बाटा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता मंच में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में मंच को बताया कि परिवादी ने 16 अप्रैल 2016 को 399 रुपए में सोढ़ाला स्थित शोरूम से बाटा के जूते खरीदे थे। कंपनी की ओर से कीमत में कागज के बैग के दो रुपए अतिरिक्त जोड़कर परिवादी से पैसे वसूले गए। जबकि बैग पर विज्ञापन के मकसद से बाटा कंपनी का नाम और लोगो छपा था। बाटा कंपनी इस तरह उपभोक्ता से बैग के रुपए वसूल रही है और दूसरी तरफ दिए गए बैग के माध्यम से अपना विज्ञापन भी कर रही है। इससे कंपनी दोहरा लाभ उठा रही है, जो गैरवाजिब है। कंपनी का दायित्व है कि वह ग्राहक को मुफ्त बैग दे।

उपभोक्ता मंच ने माना कि कंपनी ने शुद्ध रूप से अपने विज्ञापन के लिए परिवादी को यह बैग दिया और बदले में उसकी कीमत भी वसूली। जबकि बैग पर उसकी कीमत नहीं लिखी हुई थी और ना ही शोरूम पर इस बारे में कोई सूचना चस्पा थी। मंच ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह परिवादी को 10 हजार रुपए बतौर हर्जाना एवं परिवाद खर्च के रूप में अदा करे। हर्जाना राशि दो माह में अदा नहीं करने पर इस पर नौ फीसदी ब्याज भी देना होगा

(दै.न., 18.05.19)

मुरलीपुरा निवासी बनारसी देवी ने मुरलीपुरा स्थित पिंकसिटी हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल और विद्याधर नगर स्थित दाना शिवम हार्ट एंड सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल के खिलाफ राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग, जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में बताया गया कि सीने में दर्द होने पर उन्होंने अपने पति जय सिंह को 14 फरवरी 2016 को पिंकसिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां उन्हें हार्ट अटैक होने के बावजूद फेफड़ों में संक्रमण होना माना। जबकि यहां कराए गए कार्डियोग्राफ में उन्हें हार्ट अटैक होना पाया गया। सीने में पुनः तेज दर्द होने पर उन्हें दाना शिवम हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उनकी एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी की गई। लेकिन उनकी तबियत में सुधार नहीं हुआ और उनके पांव सुन्न हो गए, जिसके चलते उन्हें एक अन्य निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां 15 मार्च को उनकी मौत हो गई।

राज्य उपभोक्ता आयोग ने सुनवाई पर पिंकसिटी हॉस्पिटल और दाना शिवम हॉस्पिटल को इलाज में लापरवाही बरतने का दोषी माना। आयोग ने दोनों अस्पतालों को आदेश दिया कि वे 22-22 लाख रुपए परिवादी बनारसी देवी को बतौर हर्जाना अदा करें। साथ ही 8 जून 2016 से इस राशि पर उन्हें 9% की दर से ब्याज भी दिया जाएं। *(रा.प. एवं दै.भा., 10.05.19)*

खाद्य पदार्थों के पैकेट पर शुद्ध का मतलब नहीं लिखा तो 10 लाख रुपए जुर्माना

खाद्य पदार्थों के पैकेट्स पर नैचुरल, पारंपरिक और शुद्ध लिखकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। निर्माता कंपनियां प्रोडक्ट की परिभाषा खुद तैयार कर ग्राहकों से मनमाने दाम वसूल रही है। लेकिन अब उपभोक्ता से ऐसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकेगा। फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली (एफएसएसआई) ने कंपनियों पर नकेल कसने के लिए नैचुरल, शुद्ध व पारंपरिक की परिभाषा तय कर दी है। कोई कंपनी गलत दावे करती है, तो उसे 10 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। एफएसएसआई ने सभी राज्यों को एक जुलाई 2019 से लागू नियमों की पालना के आदेश दिए हैं।

- **नैचुरल:** अब सिर्फ उन खाद्य पदार्थों के साथ प्राकृतिक शब्द का इस्तेमाल होगा जो सीधे तौर पर पौधे, मिनरल या जानवरों से प्राप्त होंगे। इनमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए।
- **ओरिजनल:** जिन खाद्य पदार्थों के स्रोत की जानकारी आसानी से ग्राहक को मिल सकती है उसी उत्पाद के साथ इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्पाद की क्वालिटी और टेस्ट में वर्षों बाद भी बदलाव नहीं होना चाहिए।
- **पारंपरिक:** पारंपरिक उत्पाद कह कर बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों के लिए कंपनी को यह साबित करना होगा कि पिछले 30 वर्षों से उत्पाद को उसी फॉर्मूले और तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया जा रहा है। *(दै.भा., 22.04.19)*

स्रोत: रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोन: 91.141.513 3259
फैक्स: 228 2485, टेलीफैक्स: 401 5395, ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org